

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..  
ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

॥ निविदा फार्म वर्ष 2019—20 ॥

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,

ग्राम—उरला, पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

निविदाकार का  
फोटो

मैंने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध पाउडर की प्रदायगी हेतु परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली हैं, यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आवश्यक अनुबंध करने को तैयार हूँ। अमानत राशि रु. 5000/- (अक्षरी पांच हजार रूपयें मात्र) की डी.डी. उपलब्ध वाहनो का शपथपत्र निविदा प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में अपना वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराउंगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है—

- (1) निविदाकार/ट्रांसपोर्ट एजेन्सियों का नाम \_\_\_\_\_
- (2) पिता का नाम \_\_\_\_\_
- (3) स्थायी पूरा पता \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- (4) वाहन क्रमांक \_\_\_\_\_
- (5) वाहन का प्रकार/मॉडल वर्ष/क्षमता \_\_\_\_\_
- (6) दूरभाष/मोबाईल नंबर \_\_\_\_\_
- (7) दुग्ध पाउडर परिवहन हेतु जिले का नाम \_\_\_\_\_
- (8) परिवहन (निविदा) दर रूपये \_\_\_\_\_ प्रति कि.ग्रा. दूध पाउडर  
(अक्षरी रु. \_\_\_\_\_)
- (9) वाहन के वैध पंजीयन, अध्यतन बीमा और अध्यतन फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है ।
- (10) बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं पेन कार्ड नंबर \_\_\_\_\_  
(छायाप्रति संलग्न हैं)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम \_\_\_\_\_  
फोन नंबर \_\_\_\_\_  
मोबाइल नंबर .....

//2//

## ॥ घोषणा पत्र ॥

मैं घोषित करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण सत्य है मुझे दुग्ध महासंघ की सभी शर्तें मान्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो दुग्ध महासंघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

### निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार का पूरा नाम : .....

पता : .....

मोबाईल नंबर : .....

हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

1 ..... 2 ..... 3 .....

4 ..... 5 ..... 6 .....

**छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर**

ग्राम-उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला-दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 2134 / छगदुमसं / क्षेत्र संचालन / SMP / 2019 उरला, दिनांक 04 / 05 / 2019

**निविदा सूचना**

प्रदेश के 10 आकांक्षी जिले (राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर) क्षेत्र के स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत दूध पाउडर (SMP) की प्रदायगी संकुल स्तर तक प्रत्येक माह किया जाना है, दूध पाउडर सारडा डेयरी खरोरा प्लांट से उठाया जायेगा। इस हेतु इच्छुक वाहन ठेकेदारों/ट्रान्सपोर्ट एजेंसियों से बंद बाड़ी की वाहन 6 M.T. परिवहन क्षमता वाहन की सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। मुख्य कार्यालय उरला से दिनांक 06.05.2019 से 27.05.2019 दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में रू. 500.00 (अक्षरी पांच सौ रूपयें मात्र) नगद जमा कर, निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेंगे। प्रत्येक जिले की निविदा हेतु अर्नेस्ट मनी रू. 5000.00 की डी.डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से रायपुर में देय हो, निविदा फार्म के साथ संलग्न कर दिनांक 27.05.2019 तक दोपहर 2.00 बजे तक ग्राम उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला-दुर्ग में जमा करना होगा।

प्राप्त समस्त निविदायें दिनांक 27.05.2019 को दोपहर 3.00 बजे निविदाकारों के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी। विस्तृत विवरण दुग्ध महासंघ की वेबसाइट [www.cgcoopdairyfed.in](http://www.cgcoopdairyfed.in) पर उपलब्ध है।

**प्रबंध संचालक**

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

**छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर**

ग्राम-उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला-दुर्ग (छ0ग0)

स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रदाय हेतु जिलेवार संकुल का विवरण

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड	संकुल का नाम	संकुल संख्या
1	कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	अमलीकुण्डा, एतमानगर, कटोरी नगोई, केन्दई, करी, गुरसिया, घरीपखना, जुराली, जलके, तनेरा, तुमान, तानाखार, पुटीपखना, पसान, पाली, पिपरिया, पोड़ी उपरोड़ा, पोड़ीकला, बनिया, बिंझारा, मड़ई, मातिन, मोरगा, रावा, रोदे, लैगा, सेमरा, सालिहाभाठा, सिधिया, सिमगा, सिरमिना	31
2	कोरबा	पाली	अलगीडांड, उत्तरदा, करतली, करानवापारा, कोरबी, चैतमा, चोढ़ा, तिवरता, नुनेरा, पटपरा, पाली, पोड़ी, पोलमी, बकसाही, बतरा, बारीउमराव, बोईदा, मुडापार, मुनगाडीह, माखनपुर, रजकम्मा, लाफा, लिटियाखार, सपलवा, सिरली, सिल्ली, हरदी बाजार	27
3	कोरबा	कोरबा	अजगरबहार, अंधरीकछार, उरगा, कुदमुरा, कोरकोमा, चाकामार, छिरा, जामबहार, झगरहा, तिलकेजा, देवपहरी, धनगांव, परसाभाठा, बड़गांव, बुंदेली, बरपाली, भैसमा, मदनपुर, रजगामार, लेमरू, लालघाट, श्यांग, सतरेंगा, सीतामणी	24
4	कोरबा	करतला	उमरेली, कथरीमाल, करतला, कराईनारा, कोथारी, खरवानी, गिधौरी, तुमान, नवापारा, नोनबिरा, फरसवानी, बरपाली, बेहरचुवां, रामपुर, लबेद, सुखरीकला, सेन्द्रीपाली, सरगबुदिया	18
5	कोरबा	कटघोरा	अरदा, कटघोरा, गेवरा, गोपालपुर, छुरी, जेजरा, जवाली, ढेलवाडीह, दुरपा, दर्री, दीपका, बलगीखार, बिंझारा, बिरदा, बाँकी मोंगरा, भिलाई बाजार, मुढाली, रंजना	18
		<b>05</b>	<b>योग</b>	<b>118</b>
1	महासमुंद	सरायपाली	केजुवा, केदुवा, कलेण्डा, किसड़ी, चट्टीगिरोला, चारभाठा, चिवराकुटा, छुईपाली, जम्हारी, टेमरी, तोरेसिंहा, तोषगांव, नवागढ़, पैकेन, पझरापाली, पाटसेन्द्री, बलौदा, बेहरापाली, बालसी, बोन्दा, भोथलडीह, मल्दामाल, लांती, वैदपाली, सेमलिया, सरायपाली, सिघोड़ा	27
2	महासमुंद	महासमुंद	खट्टा, खट्टी, छपोराडीह, झलप, तुमगांव, तुरेंगा, नरतौरा, पटेवा, पासीद, बेमचा, बरोडाबाजार, बोरियाझर, भोरिंग, महासमुंद, रायतुम, शेर, सिरपुर, सोरमसिंधी, चिरको, छिलपावन, बिरकोनी	21
3	महासमुंद	बागबाहरा	कमरौद, कसेकेरा, खम्हरिया, खल्लारी, खोपली, गांजर, टेमरी, तेन्दूकोना, तुसदा, देवरी, नरा, परसुली, बकमा, बागबाहरा, बी. के.बाहरा, बोड़रीदादर, मुनगासेर, मामाभाचा, लुकुपाली, सुखरीडबरी	20
4	महासमुंद	बसना	अंकोरी, कोलियादेवरी, गढ़फूलझर, गिधली, चनाट, चिपरीकोना, चिमरकेल, जमदरहा, बड़ेसाजापाली, बरोली, बसना, बंसुला, बाराडोली, बिछिया, भूकेल, भंवरपुर, रसोडा, रोहिना, लम्बर, सिंघनपुर, हब्बेकांटा	21
5	महासमुंद	पिथौरा	अठारहगुड़ी, अरण्ड, किशनपुर, कोल्दा, कौहाकुड़ा, घोंच, चारभाठा, चिखली, छिबरी, पथरला, परसवानी, पाटनदादर, पिथौरा, पिरदा, बड़ईपाली, बुंदेली, बम्हनी, बरनाईदादर, भगतदेवरी, भुरकोनी, भस्करापाली, भीखापाली, मोंहगांव, रीखादादर, सलडीह, सांकरा, सागुनढाप, सावित्रीपुर, सिरको, सीतापुर, सोनासिल्ली	31
		<b>05</b>	<b>योग</b>	<b>120</b>

1	बीजापुर	उसुर	पुजारी कांकेर, बासागुड़ा, नुकानपाल, पुसबाका, कोण्डापल्ली, गलगम, धरमारंम, आवापल्ली, इलमिडी, चेरामंगी, तिम्मापुर, पामेड, संकनपल्ली	13
2	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर ए, बीजापुर बी, कैका, गंगालूर, गोंगला, चेरपाल, चिन्नाकवाली, तुमनार, तोडका, तोयनार, नैमेड, पदेडा, बोरजे, संजयपारा	14
3	बीजापुर	भैरमगढ़	कुटरू, करकेली, केशकुतुल, कोडोली, कोशलनार, गुदमा, चिहका, जांगला, तुषवाल, दरभा, धर्मा, नेलसनार, पातरपारा, परसेगढ़, बेदरे, भैरमगढ़, माठवाढा, मिरतुर, रानीबोदली	19
4	बीजापुर	भोपालपट्नम	केरते, गुन्लापेटा, चन्दूर, चेरपल्ली, दुधेडा, नरोनापल्ली, पेगडापल्ली, पीलूर, भोपालपट्नम, मदद्रेड, मदनद्रेड, मिनकापल्ली, रूद्रारम, वरदली, सकनापल्ली, सण्ड्रा	16
		<b>04</b>	<b>योग</b>	<b>62</b>
1	सुकमा	सुकमा	एटपाल, कुडमेलपारा, केरलापाल, कोतरा, कोर्रा, गादीरास, गोंदपल्ली, झापारा, फुलबगडी, बुडदी, माडियारास, रामाराम, सुकमा, सोनाकुकानार	14
2	सुकमा	छिंदगढ़	छितलनार, उरमापाल, कुकानार, कुन्दनपाल, कुन्ना, कुम्हाररास, कुमाकोलेंग, कोकावाडा, गुडरा, गरीपाल, गोरली, चांदपारा, छिन्दगढ़, तालनार, तोंगपाल, दवाशीपारा, धुररास, नेतानार, पेंदलनार, पुसपाल, पाकेला, पालेम, बुटारास, बिरसठपाल, रोकेल, लेदा, सौतनार	27
3	सुकमा	कोन्टा	इंजरम, कांकेरलंका, किस्टाराम, कोन्टा, गोलापल्ली, चितलनार, चिंतागुफा, जगरगुण्डा, डब्बाकोन्टा, दुब्बाटोटा, दरभागुड़ा, दोरनापाल, नागाराम, पेन्टा, पोलमपल्ली, बंजेपल्ली, बण्डा, भेज्जी, मिसमा, मिसीगुड़ा	20
		<b>03</b>	<b>योग</b>	<b>61</b>
1	बस्तर	जगदलपुर	अलनार, आडावाल, एस एफ कंगोली, कुरंदी, कलचा, कस्तुरी, कालीपुर, जामावाडा, तिरिया, धरमपुरा, नेताराम, नानगुंर, पनारापारा, पुसपाल, पोडागुड़ा, बड़े मुरमा, बोधघाट, भगतसिंह, महात्मा गांधी, मारकेल, विवेकानंद, सरगीपाल	22
2	बस्तर	तोकोपाल	एरकोट, करंजी, छापरभानपुरी, डिमरापाल, तेलीमारेंगा, तारागांव, तोकापाल, पोटानार, बड़े आरापुर, बुरजी, मावलीभाठा, राजूर, रानसरगीपाली, रायकोट, सालेपाल	15
3	बस्तर	दरभा	कुम्हाररास, कुकानार, कटेनार, कोकावाडा, कोठमसर, कोलेंग, चन्द्रगिरी, छिन्दबहार, छिन्दवाडा, ढोढरेपाल, दुकारुपारा, दरभा, घुररास, नेगानार, पकनार, रामपाल, सौतनार, चिंगपाल, चितापुर, बिसपुर	20
4	बस्तर	बकावण्ड	इरिक्पाल, करपावंड, किंजोली, कोलावल, छिंदगांव, जैतगिरी, जैबेल, टलनार, तुंगापाल, पाहुरबेल, बकावण्ड, बजावण्ड, बारदा, बोरपदर, मंगनार, मटनार, मूली, मोहलई, राजनगर, संघकरमरी, सतोषा, सरगीपाल	22
5	बस्तर	बस्तर	इच्छापुर, एक्टागुड़ा, केशरपाल, कोलचूर, खडका, घोटिया, चपका, चोकर, तालूर, पश्चिम टेमरा, पुजारीपारा सोनारपाल, पाथरी, पिपलावण्ड, फरसागुड़ा, फरसापारा, बड़ेआमाबाल, बाकेल, बोडनपाल, भोण्ड, मुण्डागांव, मांदलापाल, लामकेर, विश्रामपुरी, सालेमेटा, सिवनी	25
6	बस्तर	बास्तानार	अदवाल, कापानार, किलेपाल, किलेपाल नं.2, कोडेनार, तुरांगुर, पालानार, बड़े काकलुर, बड़े बोदेनार, बुरगुम, बागमुण्डी पनेडा, बास्तानार, बोरजा, मुतनपाल	14
7	बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	अलनार, आंजर, उसरीबेडा, कोटियागुड़ा, गढ़दा, गढ़िया, तरईभाठा, तारागांव, धर्माबेडा, धाराउर, बेलर, बिन्ता, मटनार, मारडूम, हर्राकोडेर	15
		<b>07</b>	<b>योग</b>	<b>133</b>

1	दन्तेवाड़ा	कटेकल्याण	कटेकल्याण, कोरीरास, गाटम, चिकपाल, जंगमपाल, तुमकपाल, तेलम, बेंगलुर (परचेली), बड़ेगुडरा, भूसारास, मोखपाल, सुरनार	12
2	दन्तेवाड़ा	कुआकोण्डा	अरनपुर, कुआकोण्डा, किरंदुल ग्रामीण, किरंदुल शहरी, गुमियापाल, चोलनार, टिकनपाल, नकुलनार, पालनार, पोटाली, बरेम, मैलावाड़ा, श्यामगिरी, समेली	14
3	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	आंवराभाठा, कुपेर, कुम्हाररास, गंजेनार, गदापाल, गोडरे, तुडपारास, दुगेली, पोन्दुम, बचेली, बालूद, बालपेट, भांसी, मेटापाल	14
4	दन्तेवाड़ा	गीदम	कारली, गीदम, घोटपाल, छिंदनार, जावंगा, फरसपाल, बड़ेकरका, बड़ेतुमनार, बारसूर, मड़से, रोंजे, समलूर, हितामेटा	13
		<b>04</b>	<b>योग</b>	<b>53</b>
1	कांकेर	भानुप्रतापपुर	आसुलखार, कच्चे, केवटी, कोरर, चिचगांव, डोंगरकट्टा, तरादुल, बैजनपुरी, बांसला, भानुप्रतापपुर, भानबेड़ा, भीरागांव, संबलपुर, साल्हे, हाटकर्का	15
2	कांकेर	नरहरपुर	उमरादाह, कुरालठेमली, कोचवाही, गटटागुडुम, घोटियावाही, चनार, जुनवानी, जामगांव, टेमा, डंवरखार, थानाबोडी, दुधावा, नरहरपुर, पेन्डावन, बासनवाही, बिरनपुर, मुसुरपुट्टा, मानिकपुर, रिसेवाड़ा, शामतरा, सुरही, सरोना, सिहारीनाला	23
3	कांकेर	दुर्गकोंदल	कोड़ेकुर्से, कोण्डे, कोदापाखा, गोड़पाल, जाड़ेकुर्से, तरहुल, दुर्गकोंदल, नेड़गांव, परेकोडो, भण्डारहिगी, मंगहुर, लोहत्तर, सुरूंगदोह, हाटकोंदल, हामतवाही	15
4	कांकेर	चारामा	आंवरी, कुरुटोला, करिहा, कोटतरा, चारामा, चावंडी, जेपरा, टहकापार, तेलगरा, परसोदा, पुरी, बासनवाही, भिलाई, माहूद, रतेसरा, लखनपुरी, लिलेझर, शाहवाड़ा, सिरसिदा, हलवा	20
5	कांकेर	कोयलीबेड़ा	आलोर, ईरपानार, ऐसेबेड़ा, कडमे, कंदाडी, कुरेनार, कोयलीबेड़ा, कौडोसाल्हेभाट, गोण्डाहुर, चारगांव, छोटेकापसी, छोटेबेटिया, पखांजूर, परतापुर, पानावार, पानीडोबीर, पी.वी. 23, पी.वी. 33, बड़े कापसी, बड़गांव, बदरंगी, बेलगांल, बान्दे, बारदा, मेंड़ा, मरोड़ा, रेंगावाही, संगम, हरनगढ़, हांकेर	30
6	कांकेर	कांकेर	आतुरगांव, ईच्छापुर, कन्हारपुरी, कोदाभाट, जनकपुरवार्ड कांकेर, डूमाली, नंदनमारा, नाथियानवागांव, पटौद, पीढ़ापाल, पोटगांव, मरकाटोला, मालगांव, माहुरबंदपारा, सुरेली	15
7	कांकेर	अंतागढ़	अंतागढ़, अमोरी, अर्रा, आमाबेड़ा, उसेली, करेगांव (भैसासुर), कलगांव, कलेपरस, कोलर, गोडरी, तुसकाल, ताडोकी, तालाबेड़ा, नागरबेड़ा, नीलझर, कोटगांव, बंडापाल, मासबरस, सरण्डी	19
		<b>07</b>	<b>योग</b>	<b>137</b>
1	नारायणपुर	नारायणपुर	एडका, गढ़बेगाल, छोटेडोगर, जम्हरी, दण्डवन, धौडाई, नारायणपुर, फरसगांव, बेनूर, बाकुलवाही, भरण्डा, भटपाल, मढ़ोनार, माहका, मिहमागवाड़ी, रेमावण्ड, राजपुर, सुलेंगा	18
2	नारायणपुर	ओरछा	ओरछा, कुरुषनार, कोगे, कोहकामेटा, गारपा, गोमे, गोमागाल, जबगुडा, जाटलूर, जाटलूर, जाटलूर, जाटलूर, डुंगा, नेडनार, बेडमा	15
		<b>02</b>	<b>योग</b>	<b>33</b>
1	राजनांदगांव	खैरागढ़	अतरिया खैरागढ़, अमलीपारा, ईटार, कुरुभाठ, करमतरा खैरागढ़, खैरागढ़, गाडाघाट, गातापार, टोलागांव, ठेलकाडीह, डोकराभाठा, पांडादाह, पिपरिया, बल्देवपुर, मंडला, मडौदा, मुढीपार, सलोनी	18
2	राजनांदगांव	चौकी	अरजकुंड, अतरगांव, आमाटोला, कुदुरघोड़ा, कोरचाटोला, गोपीचुंवा, चिखली, चिल्हाटी, चौकी, छछानपैरी, परसाटोला, बांधाबाजार, मेटेपार, विचारपुर	14

3	राजनांदगांव	छुईखदान	अतरिया, आमगांवघाट, कमांक 2 छुईखदान, खुडमुडी, गातापार नाका, झूरानदी, ठाकुरटोला, ढाबा, धोधा, नवीन गंडई, पेण्डरवानी, पद्मावतीपुर, पैलीमेटा, बकरकट्टा, बुंदेली, रामपुर, साल्हेवारा	17
4	राजनांदगांव	छुरिया	उमरवाही, कुमर्दा, कल्लू बंजारी, खोभा, गैदाटोला, गोडलवाही, चांदो, चिचोला, चिरचारीकला, छुरिया, जोब, जोब, जोशीलमती, झिथराटोला, तेलिनबांधा, तेलिनबांधा, बहमणी चारभाठा, बादरटोला, महरूम, शिकारीमहका, साल्हे	21
5	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	उमरवाही, कुमर्दा, कल्लू बंजारी, खोभा, गैदाटोला, गोडलवाही, चांदो, चिचोला, चिरचारीकला, छुरिया, जोब, जोब, जोशीलमती, झिथराटोला, तेलिनबांधा, तेलिनबांधा, बहमणी चारभाठा, बादरटोला, महरूम, शिकारीमहका, साल्हे	21
6	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अर्जुनी, करमतरा, किरगी, कोकपुर, खुज्जी, खपरीकला, जंगलपुरी, टप्पा, डोंगरगांव, तुमडीबोड, बीजेभाठा	11
7	राजनांदगांव	मानपुर	कन्दाडी, कुम्हारी, कोराचा, कोसमी, खडगांव, जामडी, दिघवाडी, नवागांव, पानाबरस, बसेली, भरीटोला, भावसा, मरकेली, मानपुर, सरखेड़ा, सीतागांव	16
8	राजनांदगांव	मोहला	आलकन्हार, उरवाही, ककईपार, कंदाडी, कोरमटोला, गोटाटोला, डूमरटोला, दुगाटोला, दनगढ़, पेन्दाकोडो, पाटनखास, भोजटोला, मोहला, रेंगाकठेरा, वासडी, शेरपार	16
9	राजनांदगांव	राजनांदगांव	उपरवाह, कन्हारपुरी, कैलाशनगर, घुमका, तिलई, धनगांव, नया ढाबा, पटेवा, प्रा.शा.नं. 4 तुलसीपुर, प्रा.शा.नं.2, भेडकला, भैंसातरा, मु.नवागांव, मोंहदी, रेंगाकठेरा, लखोलीग्राम, सदरबाजार, सुन्दरा, सुरगी, सोमनी, हरडुवा, हरदी	22
		<b>09</b>	<b>योग</b>	<b>156</b>
1	कोण्डागांव	माकडी	अमरावती, उडिदगांव, एरला, केरावाही, काटागांव, ठेमगांव, बुडरा, बुडरा, बुडरा, बरकई, बेलगांव, बवई, बिजोली, मगेदा, माकडी, रांधना, लुभा, वनबेलगांव, हिरलाभाठा, हीरापुर	20
2	कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	कोपरा, कोरगांव, कोरहोबेड़ा, खजरावंड, खरगांव, तितरवण्ड, धामनपुरी, पेण्ड्रावन, बड़ेराजपुर, बांसकोट, लिहागांव, विश्रामपुरी, सलना, हरवेल, हात्मा	15
3	कोण्डागांव	फरसगांव	आलोर, उरंदाबेड़ा, कबेंगा, कसईफरसगांव, कोटपाड, कोनगुड, छिन्दली, देवगांव, पतोड़ा, पासंगी, फरसगांव, बंगोली, बडेडोगर, बाड़ागांव, बोरतराबेड़ा, मैनपुर, मोहलई, लंजोड़ा, शंकरपुर, सिरपुर, सोडमा, हिरी	22
4	कोण्डागांव	कोण्डगांव	इसलनार, उमरगांव अ, उमरगांव ब, कुम्हारपारा, करियाकांटा, चिमडी, डोंगरीपारा, डोंगरीगुड़ा, नवागांव, पल्ली, बकोदागुड़ा, बडेबेन्दरी, बनउसरी, बनजुगानी, बनियागांव, बफना, बम्हनी, बयानार, बाखरा, बाजारपारा, बासगांव, बोलबोला, मटवाल, मुनगापदर, मरदापाल, मुलमुला, मालगांव, सोनाबाल, हडेली, हसलनार	30
5	कोण्डागांव	केशकाल	अरण्डी, ईरागांव, एटेकोन्हाडी, कोहकामेटा, खाले मुरवेण्ड, धनोरा, पीपरा, बटराली, बडेखौली, बेडमा, बनियागांव, बावनीमारी, बिंझे, भरीपारा, मस्सुकोकोड़ा, सुरडोंगर, सिकागांव, सिंगनपुर	18
		<b>05</b>	<b>योग</b>	<b>105</b>

**कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.  
ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)**

**निविदा की सामान्य शर्तें—**

1. परिवहन का कार्य बंद बाडी की वाहन में ही किया जावेगा।
2. परिवहनकर्ता के पास स्वयं अथवा स्वयं की ऐसोशिएट कम्पनी के पास कम से कम 2 बंद बाडी की वाहन 6 MT परिवहन क्षमता अथवा समकक्ष की होना आवश्यक है। (गाड़ी के कागजात एवं फोटो संलग्न करें)
3. परिवहनकर्ता के पास पेन नं. होना आवश्यक है, पेन नं. की छायाप्रति संलग्न करें।
4. परिवहनकर्ता के पास जी.एस.टी. नं. होना आवश्यक है, जी.एस.टी. नं. की छायाप्रति संलग्न करें।
5. निविदाकर्ता तीन साल की आई.टी.आर. की छायाप्रति संलग्न करेगा।
6. परिवहनकर्ता जिसे कम से कम तीन वर्ष का दूध/दूध उत्पाद/खाद्य पदार्थ परिवहन का अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।

**संक्षिप्त कार्य विवरण—**

**परिवहनकर्ता के निविदा के तहत निम्न कार्य होंगे—**

- (1) खरोरा स्थित संयंत्र से जिला मुख्यालय तक बंद बाडी की बड़ी वाहन में परिवहन किया जायेगा।
- (2) जिला मुख्यालय से संकुल तक टाटा 407/टाटा ए.सी.ई. बंद बाडी से दूध पाउडर का वितरण किया जायेगा।
- (3) संकुल स्तर तक सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी होगी।
- (4) संकुल स्तर पर अनलोडिंग का कार्य परिवहनकर्ता को करना होगा।
- (5) एस.एम.पी. (दूध पाउडर) की पावती चालान की तीन प्रति में प्राप्त कर दुग्ध महासंघ को उपलब्ध कराना होगा।
- (6) संकुल स्तर पर दूध पाउडर के सुरक्षित भण्डार की जानकारी महासंघ को उपलब्ध कराना होगा।
- (7) समय-समय पर भण्डारण में होने वाली अनियमितता अगर कोई हो तो उसकी जानकारी प्रमाण सहित दुग्ध महासंघ को उपलब्ध कराना होगा।

**दर—**

क्र.	विवरण	जिला	संकुल संख्या	दर (प्रति कि.ग्रा.)
1	दुग्ध पाउडर का परिवहन			
	जी.एस.टी. %			

- (8) निविदा निहित प्रपत्र पर ही मान्य होगी, प्रत्येक जिले के संकुल के वाहन हेतु अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करना होगा।
- (9) निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा मान्य नहीं होगी।

- (10) प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्ट मनी राशि रू. 5000.00 का डी.डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से देय हो, संलग्न करना होगा। “नगद राशि जमा नहीं होगी”
- (11) बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा/निविदायें मान्य नहीं होगी। ड्राफ्ट आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
- (12) निविदा लिफाफा चपड़ी में बंद होना चाहियें।
- (13) निविदा प्रपत्र पूर्ण एवं बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में (सीलबंद) भरा होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात् निविदा जिले के संकुल हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करें। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त काटपीट की जाती है तो वहां निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी निविदा को मान्य/अमान्य करना समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (14) निविदा में दर प्रति कि.मी., माडल, वाहन का प्रकार इत्यादि की भी जानकारी मांगी गयी है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा निविदाकार का पता एवं फोन नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।
- (15) दो से अधिक जिलों के लिए निविदाकार को कम से कम दो वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। तथा मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा।
- (16) वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए।
- (17) आवश्यकता होने पर निविदाकार को अपना वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- (18) निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक जिले के परिवहन हेतु प्रतिभूति राशि रू. 20000.00 जमा करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय में अनुबन्ध निष्पादन के समय जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादित न होने से धरोहर राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। महासंघ द्वारा निविदाकार से प्राप्त “धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा”।
- (19) अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय होने के तीन माह पश्चात् बिना ब्याज के रेखांकित चेक द्वारा वापसी योग्य होगी।
- (20) संचालक मण्डल एवं महासंघ में कार्यरत कर्मचारी या निकट संबंधी की निविदायें स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- (21) किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के पास सुरक्षित रहेगा।

- (22) आयकर आदि की राशि परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी । साथ ही समय-समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तदनुसार कटौती की जावेगी ।
- (23) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (PAN) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा। ताकि देयको का भुगतान किया जा सके।
- (24) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष को होगा। अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर लाइसेंस प्राप्त कर इसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ में प्रस्तुत करनी होगी।
- (25) वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्राप्त होने के 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादों का उपलब्ध कराया गया विज्ञापन अनुबंधित वाहनों पर लिखवाना अनिवार्य होगा।
- (26) समस्त न्यायालयीन कार्य का कार्यक्षेत्र रायपुर रहेगा।
- (27) मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स की राशि निविदा दर में सम्मिलित करें। जिन मार्गों पर अनुबंध पश्चात् नये टोल टेक्स प्रारंभ होंगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।
- (28) निविदा स्वीकृत होने पर 500.00 रु. के नान ज्यूडिशियल स्टांप पेपर के साथ एवं अन्य शर्तें वाटर मार्क पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

दुग्ध पाउडर प्रदाय हेतु अनुबन्ध

फोटो

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक ..... को लिखा गया जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती ..... निवासी ..... है।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध पाउडर जिले के समस्त संकुल का नाम ..... द्वितीय पक्ष/वाहन ठेकेदार/की वाहन क्रमांक.....माडल ..... भार वाहन क्षमता..... टन, रूपये ..... शब्दों में ..... प्रति कि.मी. की दर से अनुमानित दूरी ..... कि.मी. आज दिनांक ..... जो निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध पाउडर परिवहन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :-

- (1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक ..... से ..... तक रहेगा । प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्हीं शर्तों के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा । आपसी सहमति से यह अवधि और बढ़ायी जा सकती है ।
- (2) इन शर्तों को दुग्ध पाउडर परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा । शर्तों में जहां – जहां जिला शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य जिले के संकुल एवं जहां-जहां महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला- दुर्ग माना जावेगा ।
- (3) द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व प्रतिभूति राशि/जमानत राशि रूपये 20000/- (बीस हजार रूपये मात्र) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला-दुर्ग में ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा या ठेकेदार के आवेदन पर परिवहन देयक से प्रतिभूति राशि कटौती की जावेगी, इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा । जिले के संकुलो से द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध समाप्त या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर जिले के समस्त संकुल से अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- (4) वाहन ठेकेदार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार/संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है ।
- (5) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा ।
- (6) महासंघ द्वारा प्रदायित दूध पावडर के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा । महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जांच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा एवं पूर्व में महासंघ एवं संस्था स्तर पर दूध की मात्रा तथा परीक्षण परिणाम में होने वाले अंतर की राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काट ली जायेगी । लगातार तीन बार शिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक महासंघ की निविदायो में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा । यदि महासंघ द्वारा दिये निर्धारित दिनांक तक जिले के संकुल में सप्लाई होने वाला सामान द्वितीय पक्ष द्वारा संकुल पर नहीं पहुंचाया जाता है तो महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर सामान पहुंचायेगा, जिस पर होने वाला संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा ।

- (7) द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है व संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।
- (8) "वर्षा, प्राकृतिक विपदा एवं अन्य उचित कारण से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में पंचनामा प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन को सत्यापन पश्चात मान्य अथवा अमान्य करने का निर्णय प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा लिया जायेगा जो कि द्वितीय पक्ष को अंतिम रूप से मान्य होगा ।"
- (9) द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि में यदि किसी जिले के परिवहन ठेके का हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रूपये 5000/- (अक्षरी रूपये पांच हजार मात्र) हस्तांतरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तांतरित कर सकेगा । इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा । अनुबंध से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी ।
- (10) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे । ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों में स्वयं करने पड़ेगी । इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी । अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि महासंघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर अनुपातिक दर से वृद्धि/ कमी की गणना की जावेगी।
- (11) द्वितीय पक्ष यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा । यदि तीन माह पूर्व की सूचना नहीं दी जाती है तो प्रबन्ध पक्ष को द्वितीय पक्ष की प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।
- (12) महासंघ द्वारा निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुनर्संरचित करने का अधिकार महासंघ को रहेगा । इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा ।
- (13) उपरोक्त शर्तों का पालन करने या महासंघ द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का ठेकेदार पालन करने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी ।

- (14) वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनायें विक्रय हेतु नहीं हैं इस तरह की पट्टियां जिसमें काली पट्टी पर सफेद अक्षरों से अंकित पेंट की हुई लगाना होगा। महासंघ द्वारा दिये गये विज्ञापन प्लेट/पत्र पेटी अपने स्वयं के खर्च पर आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपनी वाहन पर लिखना आवश्यक है ।
- (15) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्यकता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सके ।
- (16) एक्सीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली वाहन ठेकेदार से की जायेगी । साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारीयां/मुआवजा की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी ।
- (17) महासंघ द्वारा प्रदाय करने हेतु दी गई सामग्री (SMP) के चालान की कापी पर संस्था कर्मचारियों के हस्ताक्षर सील सहित पूर्ण कराकर हस्ताक्षरित चालान पुनः महासंघ कार्यालय में जमा करना होगा । हस्ताक्षरित चालान जमा न करने पर संबंधित संस्था को भेजे गए सामान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकती है ।
- (18) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् द्वितीय पक्ष को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय-समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होगा । ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई. एस. आई. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी । यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौती के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा । शासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेशन U/S 194 C(6) फार नाम डिक्लेरेशन आफ टैक्स एट सोर्स भरकर जमा करना होगा ।
- (19) अनुबंध की शर्तों को परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । कार्य सुविधा/व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी ।
- (20) इस अनुबंध एवं इसकी शर्तों में समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के नियमों विनियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तित/परिवर्धित की जा सकती है जिससे द्वितीय पक्ष मानने को बाध्य होगा ।
- (21) इस अनुबंध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा । ?

- (22) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (PAN) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा। ताकि देयक का भुगतान आनलाईन किया जा सके।
- (23) वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए, ऐसे वाहन चालको की द्वितीय पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाए तथा दोषियों को सेवा से पृथक किया जावे।
- (24) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- (25) द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. .... संबंध ..... उम्र ..... को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. .... को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।
- (26) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ की वसूली निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
- (27) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से महासंघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवे।
- (28) मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स आदि निविदा दर में ही सम्मिलित करें। जिन मार्गों पर नये टोल टेक्स प्रारंभ होंगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।
- (29) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा। दुग्ध पाउडर परिवहन हेतु निविदा की शर्त एवं नियम 01 से 31 तक मैंने अपने पूर्ण होशोहवास से पढ़ ली है जो मुझे मान्य एवं बाध्यकारी है।

इस अनुबन्ध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक ----- को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा प्रतिभूति राशि रू. 20000.00 (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) मात्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. उरला जिला-दुर्ग के कार्यालय में रसीद क्रमांक ----- दिनांक ----- को बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया गया ।

मैं ..... द्वितीय पक्षकार अनुबंध की शर्तों का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होशोहवाश में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध निष्पादित करता हूँ।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्रबन्ध पक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

अनुबन्धकर्ता

नाम -----

पता -----

-----  
-----

गवाह प्रबन्ध पक्ष

अनुबन्धकर्ता के गवाह

1- हस्ताक्षर-----

नाम -----

पता -----

-----

1-हस्ताक्षर-----

नाम -----

पता -----

-----

2- हस्ताक्षर-----

नाम -----

पता -----

2-हस्ताक्षर-----

नाम -----

पता -----

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी-

उनकी पत्नी का नाम-

हस्ताक्षर-

हमारा स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पैन नं.)-

